रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2010/माघ 14, 1931

No. 43] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2010/MAGHA 14, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2010

सं. 38/2009-2014

विषय :—मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय प्राधिकार-पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के पुनः वैधीकरण और 4 प्रतिशत एस ए डी के पुनः क्रेडिट के लिए प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैराग्राफ 2.13.1, 3.11.7 और 4.50 का संशोधन ।

फा. सं. 01/94/180/डी ई पी बी-एस ए डी रिक्रेडिट/एएम 10/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैराग्राफ 2.13.1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"2.13.1 तथापि, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक एवं सेल प्राधिकार पत्र की अनुमति नहीं होगी जब तक सीमा-शुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास होते हुए से इसकी वैधता समाप्त हो गई हो ।"

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 में निम्नानुसार एक नया पैराग्राफ 2.13.2.क जोड़ा जाता है :—

"2.13.1.क मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स (डी ई पी बी सहित) में सीमा-शुल्क का 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) के पुनः क्रेडिट के प्रयोजन के लिए, पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अधिकतम अवधि के लिए पुनः वैधीकरण की अनुमति दी जाएगी जहाँ पुनः क्रेडिट की तारीख पर वैधता की शेष अवधि छः महीने से कम है ।"

3. अध्याय 3 के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स की वैधता अवधि से संबंधित पैराग्राफ 3.11.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"3.11.7 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 24 महीने की अवधि के लिए वैध होगा और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का पुनः वैधीकरण अनुमत नहीं होगा जब तक यह प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैराग्राफ 2.13.1 या पैराग्राफ 2.13.2 के तहत न आता हो ।"

4. डी ई पी बी के पुनः वैधीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4.50 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"डी ई पी बी की वैधता की मूल अवधि बीत जाने के बाद कोई पुनः वैधीकरण नहीं किया जाएगा जब तक यह प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैराग्राफ 2.13.1 या पैराग्राफ 2.13.2 के तहत न आता हो ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd February, 2010

No. 38/2009-2014

Subject : Amendment of Paragraphs 2.13.1, 3.11.7 and 4.50 of HBP, Vol. 1 for revalidation of freely transferable Authorization/Duty Credit Scrips and Re-credit of 4% SAD thereof.

F. No. 01/94/180/DEPB-SAD Recredit/AM 10/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in

the Handbook of Procedures (Vol. 1), 2009-2014 :—

1. Paragraph 2.13.1 of HBP, Vol. 1 shall be substituted by the following :—

"2.13.1 However, revalidation of freely transferable Authorisation Duty credit scrips and stock and sale Authorisation shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs Authority/ RA."

2. A new Paragraph 2.13.2A stands added in the HBP Vol. 1 as under :—

"2.13.2 A For the purpose of re-credit of 4% Special Additional Duty (SAD) of customs in the freely transferable Duty Credit Scrips (including DEPB), revalidation for a maximum period of 6 months from the date of endorsement, shall be allowed in case the balance period of validity is less than 6 months on the date of re-credit."

3. Paragraph 3.11.7 related to validity period of duty credit scrips issued under Chapter 3 shall be replaced by the following :—

"3.11. 7 Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 24 months and Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under Paragraph 2.13.1 or Paragraph 2.13.2 A of HBP, Vol. 1."

4. Paragraph 4.50 related to revalidation of DEPB shall be replaced by the following :—

"No revalidation shall be granted beyond original period of validity of DEPB unless covered under Paragraph 2.13.1 or Paragraph 2.13.2 A of HBP, Vol. 1."

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Spl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.